प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

आवंटन,
आयोजनागत–अनुदान सं0–14
तेरह अंको का कोड–2515001011401

सेवा मे,

जिला पंचायत राज अधिकारी,
मथुरा, पीलीभीत, इलाहाबाद, वाराणसी, सीतापुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़,
गाजियाबाद तथा श्रावस्ती।

संख्या– 1/1946/2013–1/08/2012 : लखनऊः दिनांक 24 मार्च, 2013

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में सफाई कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान हेतु अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनागत–101–पंचायती राज–14– पंचायती राज संस्थायें–1401–सफाई कर्मचारी अधिष्ठान के अन्तर्गत व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक विशेष सचिव पंचायतीराज उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1793/33–3–2012–100 (17)/2011, दिनांक 26 जुलाई, 2012 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 के वेतन भत्तों आदि में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष सफाई कर्मचारियों के अधिष्ठान में व्यय हेतु धनराशि संलग्न तालिका के अनुसार **₹ 12774801/– (₹ एक करोड़ सत्ताइस लाख चौहत्तर हजार आठ सौ एक मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन आवंटित की जाती है:–

1– आवंटित धनराशि का व्यय किसी ऐसे मद में कदापि न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति आवश्यक है। ऐसे व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्ति करने के उपरान्त ही किया जाये। आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय। व्यय आवंटित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। किसी प्रकार के अधिक व्यय के लिये अथवा अनाधिकृत व्यय के लिये आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें। बजट की किसी भी ऐसी प्राथमिक इकाईयां लेखाशीर्षक के सापेक्ष व्यय न किया जाये जिसके लिये बजट में प्राविधान नहीं है।

2– वेतन भत्ते आदि का आहरण केवल सृजित पदों के सापेक्ष ही किया जाय। नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाये। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें। आहरण तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाये। यह भी ध्यान रहे कि धनराशि का आवंटन मात्र ही किसी भी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। आहरण के पूर्व अन्य संगत वित्तीय नियमों/निर्देशों का भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

3– सामान्यतः बिना निदेशालय की अनुमति प्राप्त किये कोषागार नियम 27 से कोई आहरण न किया जाय।

4– आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष एक मुश्त आहरण न किया जाय। आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग का स्वीकृत आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा। जो सामान्यतः दो माह से अधिक नहीं होगी।

5– कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह बी0एम0–4 पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये। बी0एम0–4 पर बने सभी कालम अवश्य भरें जाए तथा विवरण में कोषागार वाउचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

6– आहरण वितरण अधिकारी को बजट अगली बार तभी आवंटित किया जायेगा जब उपयुर्क्तानुसार बी0एम0–4 पर सूचना तथा अतिरिक्त बजट का औचित्य प्राप्त हो जाये।

7– यदि बी0एम0–4 पर सूचना नियमित एवं समयवद्ध रूप से नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होगा।

8– यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जाती है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण–पत्र नोट कराना आवश्यक होगा। धनराशि समर्पित करते समय पर्याप्त औचित्य अवश्य अंकित करें अन्यथा समर्पण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

9– एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति कर दी जायेगी।

10– यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उपमुख्य, लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये, ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुंकिंग में बाधा न हो तथा प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य अंकित किया जाये जिसके लिये रबर की मोहर अधिक श्रेयष्कर होगी। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि धनराशियों का व्यय प्रतिमाह कुल धनराशि का 1/12 भाग ही हो। यदि किसी माह में 1/12 भाग से अधिक की धनराशि के व्यय का औचित्य पाया जाय तो उस धनराशि के व्यय करने से पूर्व निदेशालय की अनुमति प्राप्त की जायेगी।

11– व्यय के संबंध में वित्त (आय–व्ययक), अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–1515/दस–2012–231/2012, दिनांक 09 जुलाई, 2012 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12– शासकीय व्यय की मितव्ययिता नितान्त आवश्यक अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सी0ए0–934/दस–2008–मित–1–2007 दिनांक 2–9–2008 का विशेष रूप से पालन किया जाय।

13– नवसृजित जनपद भीमनगर, प्रबुद्धनगर एवं पंचशीलनगर में उक्त अधिष्ठान मद से आहरित सफाई कर्मचारियों का वेतन उनके पूर्व/मूल जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारियों द्वारा आहरित कर सम्बन्धित कर्मचारियों को भुगतान किया जायेगा।

14– उपयुर्क्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक –2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनागत–101–पंचायती राज–14–पंचायतीराज संस्थायें–1401– सफाई कर्मचारी के नामे डाला जायेगा।

15– संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि व्यय का लेखा जोखा रखेंगें तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक इस कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0–4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकन्सिलियेशन स्टेटमेंन्ट आगामी माह की 5 तारीख तक।

वर्ष 2012–13 में समर्पण यदि कोई हो तो की सूचना दिनांक 26–03–2013 तक

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–79 पर अंकित है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सौरभ बाबू)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/1946/1/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2–प्रमुख सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन।
3–महालेखाकार सी0पी0 सी0–2 उ0प्र0 इलाहाबाद।
4–महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0इलाहाबाद।
5–वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6–सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7–सम्बन्धित मण्डलीय उप निदेशक, (पं0), उत्तर प्रदेश।
8–तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

(राम देव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2012-2013
आवंटन दिनांक-24/03/2013

प्रेषण संख्या:- 59
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1-1946-2013-1-08-2012
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2012-2013 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनागत)

101 - पंचायती राज
14 - पंचायती राज संस्थायें
01 - सफाई कर्मचारी

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	49-चिकित्सा व्यय	योग
1	मथुरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	715821 27380904	2954593 21353500	48000 48000	3718414 48782404
2	पीलीभीत-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 59721807	858467 42066513	41312 41312	899779 101829632
3	इलाहाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 155596287	0 107361438	75403 75403	75403 263033128
4	वाराणसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 57424812	0 39623120	59939 187005	59939 97234937
5	सीतापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 91011614	0 62798013	33682 371300	33682 154180927
6	फैजाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 59068558	0 43604749	12290 169453	12290 102842760
7	प्रतापगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 91180623	0 62914629	36944 188527	36944 154283779
8	गाजियाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 21771492	3600000 18622329	0 104535	3600000 40498356
9	श्रावस्ती-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2003720 26072207	2334630 18941886	0 0	4338350 45014093
	योग	वर्तमान प्रगामी	2719541 589228304	9747690 417286177	307570 1185535	12774801 1007700016

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ सत्ताइस लाख चौहत्तर हजार आठ सौ एक
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक अरब सतहत्तर लाख सोलह

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
रामदेव सिंह